स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

बनाम

कंवल नैन सिंह

(सिविल अपील क्रमांक 2469 वर्ष 2010)

अप्रैल 03, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतानागौदार और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति]

सेवा कानून - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने की मांग की - अनुरोध की अस्वीकृति और कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी - इस न्यायालय द्वारा रद्द किया गया उक्त आदेश - स्पष्टीकरण के लिए आवेदन कि क्या अपीलकर्ता-बैंक, एक सहायक कंपनी होने के नाते, निर्णय का लाभ अपीलकर्ता-बैंक को उपलब्ध होगा - स्पष्टीकरण आवेदन की अनुमति - उसके विरुद्ध समीक्षा भी ख़ारिज - इसके बाद, कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और अनुग्रह राशि का भुगतान उसके खाते में जमा कर दिया गया - बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की मांग करने वाले कर्मचारी द्वारा आवेदन - वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ उक्त आवेदन को वापस लेना - इसके बाद, कर्मचारी ने उस फैसले को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की जिसके तहत कर्मचारी को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था - हालाँकि, एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी को डिवीजन बेंच द्वारा रद्द कर दिया गया - अपील पर, माना गया: कर्मचारी के मामले को फिर से खोलने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था - यह व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय है - सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, कर्मचारी हमेशा के लिए उस निर्णय से बंधा हुआ है - प्रतिवादी ने बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की मांग करने के लिए प्रार्थना की, जिसे स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया -ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी वैकल्पिक उपाय को आगे बढ़ाने की दी गई स्वतंत्रता की आड़ में, एक नई रिट याचिका दायर की गई, जिसके कारण अंततः यह निर्णय आया - इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया - बैंक को सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1.1 प्रतिवादी को एक निर्णय का सामना करना पड़ा जब इस न्यायालय ने बैंक द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जैसा कि (2003) 2 एससीसी 721 और (2004) 2 एससीसी 193 में बताए गए निर्णय के अनुसार था। यह व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय है। उच्च न्यायालय, भारतीय खाद्य निगम के मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए आवेदन स्वीकार होने से पहले वापस लेने के मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसले के आधार पर प्रतिवादी के मामले को फिर से खोलने में अपने दृष्टिकोण में सही नहीं था। प्रतिवादी का भाग्य तब सील हो गया जब इस न्यायालय ने घोषणा की कि वह योजना के प्रावधान से बंधा हुआ है कि एक बार किया गया आवेदन अपरिवर्तनीय है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी हमेशा के लिए उस निर्णय से बंधा हुआ है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने आवेदन में जो प्रार्थना की थी, जिसे स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया, वह बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की मांग करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी उपाय को आगे बढ़ाने के लिए, यदि उपलब्ध हो और कानून के अनुसार, वापसी के समय दी गई स्वतंत्रता की आड़ में, एक नई रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके कारण अंततः विवादित निर्णय आया, जिसे रद्द कर दिया गया है। [पैरा 10,11] [861-एच; 862-ए-डी]

1.2 प्रतिवादी को देय अनुग्रह भुगतान केवल 2004 में उसके खाते में जमा किया गया था जबकि पूरी गणना 30.03.2001 के अनुसार है। बैंक ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेशों के मद्देनजर 2004 से पहले राशि जमा नहीं की जा सकती थी। पार्टियों को इस संबंध में मुकदमेबाजी के दूसरे दौर का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और यह कि प्रतिवादी ने अंतरिम आदेशों के आधार पर काम की अवधि के लिए संपूर्ण सेवा लाभ प्राप्त कर लिया है, अपीलकर्ता-बैंक को विलंबित भुगतान के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। सेवा में रहने की अवधि के दौरान प्रतिवादी को पहले से भुगतान किए गए लाभों की कोई वसूली नहीं की जाएगी। [पैरा 12,13][862-ई-जी]

भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम रमेश कुमार (2007) 8 एससीसी 141 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस (2007) 8 एससीसी 141 पैरा 10 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2469 वर्ष 2010

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ का निर्णय और आदेश दिनांक 04.10.2008 के विरुद्ध एलपीए संख्या 114 वर्ष 2007 में रिट याचिका (सी) संख्या 17426 वर्ष 2004 में।

संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री मानसी कपूर, सुश्री शुभ्रा कपूर अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

गगन गुप्ता प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कुरियन द्वारा सुनाया गया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1. अपीलकर्ता सिविल रिट याचिका संख्या 17426 वर्ष 2004 में एलपीए संख्या 114 वर्ष 2007 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 04.10.2008 के फैसले से व्यथित हैं। मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला है। प्रतिवादी 29.02.1977 को अपीलकर्ता-बैंक में सेवा में शामिल हुआ। बैंक ने 20.01.2001 को अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रकाशित की। यह योजना अपने कर्मचारियों के लिए 15.02.2001 से 01.03.2001 तक खुली थी। योजना के खंड 9 में एक विशिष्ट प्रावधान था कि एक बार किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता और उसे अपरिवर्तनीय माना जाएगा।

2. योजना के संचालन की अंतिम तिथि यानी 01.03.2001 को, प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अगले दिन, यानी 02.03.2001 को, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन वापस लेने की मांग की। योजना के खंड 9 के प्रावधानों के अनुसार उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया।

3. प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 30.03.2001 के एक अंतरिम आदेश के अनुसार, प्रतिवादी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और दिनांक 03.04.2002 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता-बैंक ने इसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। सिविल अपील संख्या 854-855 वर्ष 2002 और (2003) 2 एससीसी 721 में रिपोर्ट किए गए अन्य संबंधित मामलों में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2002 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में संचालित योजना को अलग करके उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

4. अपीलकर्ता-बैंक भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी है। 30.01.2003 को, बैंक ने स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया कि क्या अपीलकर्ता-बैंक, एक सहायक कंपनी होने के नाते, निर्णय का लाभ अपीलकर्ता-बैंक को भी उपलब्ध होगा। उस आवेदन को 21.01.2004 को अनुमति दी गई थी।

5. इस बीच, प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में जारी रहा। उन्हें 01.05.2003 से जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I में पदोन्नत किया गया था। चूंकि स्पष्टीकरण की अनुमति 21.01.2004 को दी गई थी, (2004) 2 एससीसी 193 में रिपोर्ट किए गए आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को भी अनुमति देते हुए, प्रतिवादी 29.02.2004 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया था।

6. 29.02.2004 को प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद, योजना के तहत देय 14,05,382/- रुपये का अनुग्रह भुगतान 31.03.2004 से 14.05.2004 तक विभिन्न तिथियों पर प्रतिवादी के खाते

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

में जमा किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, न तो उसके द्वारा इसका अनुरोध किया गया था/उसे स्वीकार्य था और न ही इसे स्वीकार किया गया था।

7. प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.01.2004 के निर्णय की समीक्षा का प्रयास किया। समीक्षा याचिका 27.04.2004 को खारिज कर दी गई।

8. इसके बाद, प्रतिवादी ने वास्तव में प्रदान की गई सेवा की लंबाई और पदोन्नत पद पर वेतनमान के आधार पर बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की प्रार्थना करते हुए निर्देश/स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। अपीलकर्ता-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार, अनुग्रह राशि की गणना, वास्तव में, योजना के तहत वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 29.03.2001 तक सेवा की कुल अवधि के आधार पर की गई थी। उस आवेदन को कानून के अनुसार उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक उपाय, यदि कोई हो, को अपनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वापस ले लिया गया था।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने बहुत ही चतुराई से, उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर की, वस्तुतः उस फैसले को पुनर्जीवित करने की मांग की जो उसे इस न्यायालय के हाथों झेलना पड़ा था, जिसके खिलाफ प्रतिवादी के कहने पर समीक्षा भी खारिज कर दी गई थी। उस रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने एलपीए संख्या 114 वर्ष 2007 में सिविल रिट याचिका संख्या 17426 वर्ष 2004 में, आक्षेपित निर्णय के आधार पर, उसी की अनुमति दी और इस प्रकार, तत्काल अपील की।

10. अपीलकर्ता-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय कपूर और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गगन गुप्ता को विस्तार से सुनने के बाद, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करना मुश्किल लगता है। (2003) 2 एससीसी 721 और (2004) 2 एससीसी 193 में रिपोर्ट किए गए फैसले के अनुसार, जब इस न्यायालय ने बैंक द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, तो प्रतिवादी को एक निर्णय का सामना करना पड़ा। यह व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय है। भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम रमेश कुमार (2007) 8 एससीसी 141 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के बाद के फैसले के आधार पर प्रतिवादी के मामले को फिर से खोलने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार होने से पहले वापस लेने के मामले में जहां तक प्रतिवादी का सवाल है, उसका भाग्य तब सील हो गया जब इस न्यायालय ने घोषणा की कि वह योजना के प्रावधान से बंधा हुआ है कि एक बार किया गया आवेदन अपरिवर्तनीय है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, प्रतिवादी हमेशा के लिए उस निर्णय से बंधा हुआ है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

11. इसके अलावा, प्रतिवादी ने अंतर्वर्ती आवेदन में जो प्रार्थना की, जिसे स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया, वह बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की मांग करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि वापसी के समय किसी भी उपाय को आगे बढ़ाने के लिए दी गई स्वतंत्रता की आड़ में, यदि उपलब्ध हो और कानून के अनुसार, एक नई रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके कारण अंततः विवादित निर्णय आया। मामले को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं। एलपीए संख्या 114 वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.10.2008 को रद्द किया जाता है।

12. हमने पाया कि प्रतिवादी को देय अनुग्रह भुगतान केवल 2004 में उसके खाते में जमा किया गया था जबकि पूरी गणना 30.03.2001 की है। बैंक के विद्वान वकील का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेशों के मद्देनजर 2004 से पहले राशि जमा नहीं की जा सकती थी। हम नहीं चाहते कि पक्ष इस संबंध में मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की जोखिम उठाएं।

13. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी ने अंतरिम आदेशों के आधार पर काम की अवधि के लिए संपूर्ण सेवा लाभ प्राप्त कर लिया है, हम अपीलकर्ता - बैंक को विलंबित भुगतान के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सेवा में रहने की अवधि के दौरान प्रतिवादी को पहले से भुगतान किए गए लाभों की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

निधि जैन अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"